न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 56/13 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00063

उनवान

1. मदन सिंह
2. पीतम सिंह
3. तुलसीराम

} पुत्र स्व0 नत्थी जाति कुशवाह नि0 ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तह0 सैपऊ वर्तमान तहसील बसई नवाव जिला धौलपुर।

.......................अपीलांट।

बनाम

1. डौंगर पुत्र छोटे (मृत)
   1/1. श्रीमती रूमा देवी वेवा डौंगर
   1/2. पूरन पुत्र स्व0 डौंगर
   1/3. लक्ष्मी पुत्री स्व0 डौंगर
   1/4. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 डौंगर
   1/5. अनीता पुत्री स्व0 डौंगर
2. अचल सिंह पुत्र गुलाब सिंह
3. पूरन सिंह पुत्र गुलाब सिंह
4. साहब सिंह पुत्र विजय सिंह
5. अयुद्धी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद

} जाति कुशवाह नि0 ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तहसील सैपऊ हाल तह0 बसई नवाव जिला धौलपुर।

6. जसौदा पत्नी मोहन सिंह (मृत)
   6/1. पप्पू सिंह
   6/2. राजकुमार
   6/3. रामचरन

   } पुत्र मोहन सिंह माता स्व0 जसौदा पत्नी स्व0 मोहन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तहसील सैपऊ वर्तमान तह0 बसई नवाव।

   6/4. राजनदेई पुत्री स्व0 मोहन सिंह माता स्व0 जशोदा पत्नी जोधाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम लाडमपुर तहसील मनिया जिला धौलपुर।

7. सियाराम
8. कप्तान सिंह
9. दीवान सिंह
10. कम्मोद सिंह
11. रामफूल

} पुत्र स्व0 जसराम जाति कुशवाह नि0 ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तहसील सैपऊ वर्तमान तहसील बसई नवाव जिला धौलपुर।

12. ओमवती पुत्री स्व0 जसराम पत्नी मौजीलाल जाति कुशवाह नि0 ग्राम बसई सामन्त तहसील व जिला धौलपुर।

भू-प्रबंध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

13. माया पत्नी कप्तान सिंह
14. रामकटोरी वेवा धांधू
15. सुरेश पुत्र स्व0 धांधू
16. नौबत पुत्र स्व0 धांधू
17. यादराम पुत्र स्व0 धांधू

} जाति कुशवाह नि0 ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तहसील सैपऊ वर्तमान तह0 बसई नवाव जिला धौलपुर।

18. प्रेमवती पुत्री धांधू पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी ग्राम बालगोविन्द का पुरा वाया मांगरौल तहसील मनिया जिला धौलपुर।
19. मनरूप पुत्र खूबीराम जाति कुशवहा निवासी ग्राम या नगला मजरा मालौनी पंवार तहसील सैपऊ वर्तमान तहसील बसई नवाव जिला धौलपुर।
20. शीला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी मलौनी पंवार हाल निवासी खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
21. हरप्यारी पत्नी रसाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैपऊ हाल तहसील बसई नवाब जिला धौलपुर (मृत)
    21/1. राजपाल सिंह
    21/2. विजयपाल सिंह

    } पुत्र स्व0 रसाल सिंह जाति ठाकुर नि0 ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैपऊ हाल तहसील बसई नवाव जिला धौलपुर।

22. चन्द्री पुत्री नत्थी पत्नी प्रेम सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम पीपरीपुरा (सखवारा) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
23. तेज सिंह पुत्र गोपी
24. नहनी पत्नी बहादुर

} जाति कुशवाह नि0 ग्राम नया नगला मजरा मालौनी पंवार तह0 सैपऊ वर्तमान तह0 बसई नवाव जिला धौलपुर।

25. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसई नवाव तामील जरिये शाखा प्रबंध बसई नवाव तहसील बसई नवाब जिला धौलपुर।
26. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब तहसील बसई नवाव।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 16.04.2007 एवं डिक्री दिनांक 13.07.2007 मि.नं. 274/05 उनवानी डौंगर सिंह बनाम मदन सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दीनदयाल शर्मा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री किशन सिंह त्यागी वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय   दिनांक–12.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.04.2007 एवं डिक्री दिनांक 13.07.2007 विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र अंकित विवादित आराजी के पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन न

उपखण्ड अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

हुआ है। अतः फसल आदि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई दिनांक 07.07.2003 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो० एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। विवादित आराजी में से जिस खसरा नम्बर पर अपीलाण्ट का कब्जा था वह जमीन अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। हिस्सा भी कम दिया। मीना पत्नी रामफूल एवं धांधू पुत्र लूकीराम की मृत्यु दौराने दावा हो गयी। परन्तु उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जावें परन्तु प्रकरण के सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सैपऊ है। प्रकरण में मुंतकिली प्रार्थना पत्र लगने के कारण उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा निर्णय पारित किया था। पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ में प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट की आपत्ति रही है कि उन्हें राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से के अनुपात में, रकवा कम दिया गया है व कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करते समय उन्हें मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना नहीं दी गयी एवं अपीलाधीन आदेश भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है। रैस्पो0 के अभिभाषक ने अपीलाण्ट की उक्त आपत्तियों के संबंध में कोई विरोध/तर्क प्रस्तुत नहीं करते हुये, प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के लिये पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने में सहमति जाहिर की गयी है। चूंकि उभयपक्षकारान प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमत हैं। अतः हम न्यायहित में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.04.2007 व डिक्री दिनांक 13.07.2007 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तहसीलदार स्वयं, पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु सुनवाई के अधिकार क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ को प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर